न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 98 / 2020

प्रार्थीगण :–

1. नानगाराम पुत्र निम्बाराम
2. पोलाराम पुत्र निम्बाराम
3. पेमाराम पुत्र निम्बाराम
4. अण्छीदेवी पत्नी नानगाराम
5. दमीदेवी पत्नी पोलाराम
6. दलूदेवी पत्नी पेमाराम
   जाति जाट निवासी मंगले की बेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. करनाराम पुत्र गुणेशाराम
2. मूलाराम पुत्र गुणेशाराम
3. पूनमाराम पुत्र गुणेशाराम
4. भूराराम पुत्र हरचन्दराम
5. घमण्डाराम पुत्र हरचन्दराम
6. करनाराम पुत्र हरचन्दराम
7. मूलाराम पुत्र हरचन्दराम
8. धनाराम पुत्र रचन्दराम
   जातियान जाट निवासी मंगले की बेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
9. भंवराराम पुत्र मंगलाराम
10. भगाराम पुत्र मंगलाराम
11. उमाराम पुत्र जेठाराम
12. डूंगराराम पुत्र हिमताराम
13. नगाराम पुत्र हरजीराम
14. मंगलाराम पुत्र राणाराम
15. हरचंदराम पुत्र कानाराम
16. कौशलाराम पुत्र कानाराम
17. झाकराराम पुत्र कानाराम
18. खेताराम पुत्र कालूराम
19. गेनाराम पुत्र लुम्बाराम जाति मेगवाल
20. धनाराम पुत्र खेताराम जाति जाट
21. खेताराम पुत्र गोरधनराम जाति प्रजापत
    निवासी मंगले की बेरी तहसील गुड़ामालानी
22. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित

1. **श्री रिडमलराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री बाबूलाल विश्नोई विप्रार्थीगण**

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:54:55 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश ::–

दिनांक :– 26.09.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्राथीगण की ओर से वकील बाबूलाल विश्नोई द्वारा बकालातनामा पेश किया परन्तु पर्याप्त अवसर लिये जाने के उपरान्त

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किये जाने से विप्रार्थीगण का जवाब का अवसर बन्द किया गया।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2073—2076 सरहद मौजा मंगले की बेरी के खेत खसरा नम्बर 42/10 रकबा 44—13 बीघा, 42/8 रकबा 52—14 बीघा एवं खसरा नम्बर 45/1 रकबा 29—15 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मंगले की बेरी के खेत खसरा नम्बर 42/10 रकबा 44—13 बीघा, 42/8 रकबा 52—14 बीघा एवं खसरा नम्बर 45/1 रकबा 29—15 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 1000/— शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना त्ळज रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26/9/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:54:55 IST
Reason: SelfAttested